(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

House of Mr. A. O. Hume

2758. SHRIMATI USHA MALHOTRA: DR. LOKESH CHANDRA. SHRIMATI KAILASHPATI; SHRI P. N. SUKUL: SHRI ROSHAN LAL:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the house of the founder of the Indian National Congress Mr. A. O. Hume is being converted into a five-star hotel; and

(b) whether Government will consider the desirability to acquire it to make it a national monument during the centenary year of the Congress?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL AND TRAINING. ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) Yes, Sir.

' (b) The matter is tinder the consideration of the Government of Himachal Pradesh.

I.T.D.C.'s agreement with th» Hotel Managements Abroad

2759. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH; Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

whether the ITDC entered into certain agreements with the Hotel meats abroad for rendering consultancy services; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) and (b) Yes, Sir. The India Tourism) Development Corporation has entered into the following agreements with hotel projects abroad for providing feasibility 1 studies, technical and project assistance at design, planning and construction stages and post-construction, management and marketing services:—

(1) Messrs Lotus Hotels Ltd., Limas-sol, Cyprus.

(2) Hotel Projects at Mosul and Dokan in Iraq.

(3) Jaya Hotel International at Kathmandu, Nepal.

The above arrangement have been enterered into on a commerical basis.

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उदारीकृत पेंशन योजना

2760. **श्री राम सिंह भाई पातलीया भाई राठवा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अप्रैल, 1985 के गुजराती दैनिक "संदेश" (अहमदाबाद-गुजरात) में "गृह मंत्रालय, स्वातंत्र्य सेनानी ध्यान दें" शीर्षक से छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया जिसके अनुसार पेंशन योजना को और अधिक उदार बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नई नीति के प्रत्युत्तर में गुजरात और अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से कितने आवेदन प्राप्त हुये है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान । यह गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया एक विज्ञापन है । विज्ञापन की प्रति अनुलग्नक में दी गई है ।

(ग) इस विज्ञापन से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के अन्तर्गत कोई नये आवेदन आमंत्रित नहीं किये गये है । सरकार का आशय केवल ऐसे आवेदकों से नये प्रमाण पत्र आमंत्रित करने का है

जिन्होंने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पहले आवेदन पत्र दिये थे और कम से कम 5 वर्ष की कैद काटने वाले प्रमाण कर्ताओं से दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में उनके द्वारा फरार आदि होने के प्रमाण प्रस्तुत न करने के कारण जिनके मामले रद्द कर दिये गये थे अथवा लंबित थे । यह प्रमाणकर्ता के लिये जेल यातना की 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि को कम करके 2 वर्ष करने के सरकार के निर्णय के परिणाम स्वरूप किया गया था ।

अनुलग्नक

गृह मंत्रालय

स्वतंत्रता सेनानी ध्यान दें

पहले स्वतंत्रता सैनिकों के लिए 1.8.80 से लागू उदार पेंशन योजना के उपबंधों के अधीन ऐसे स्वतंत्रता सैनानी जिन्होंने कम से कम 6 महीने की अवधि तक फरार होने, निष्कासन अथवा नजरबंदी की यातना सहन की हो, वे अपने साक्ष्य के रूप में यदि सरकारी अभिलेखों के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हों तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों से प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते थे जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की कैद की सजा काटी हो बशर्ते ऐसे प्रमाण पत्र केवल तब ही स्वीकार्य होंगे यदि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रमाण कर्ता और आवेदक का कार्य स्थल अर्थात जिला एक ही था । भारत सरकार को प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों की दृष्टि से "प्रमाण कर्ता" स्वतंत्रता सैनानी" की कैद की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष से कम करके 2 वर्ष करन का निर्णय किया गया है ।

2. ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने आवेदनों में गिरफ्तारी वारन्ट पर फरार होने, निष्कासन अथवा नजरबंदी का दावा किया था और जिनके मामले रद्द कर दिए गए थे । अथवा गृह मंत्रालय के पास लंबित है, वे अब ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों से जिन्हों ने न्यूनतम 2 वर्ष की कैद काटी हो, नये प्रमाण पत्र उप सचिव, गृह मंत्रालय, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली 110003 को प्रस्तुत कर सकते है । किन्तु उन स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में नये प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं जिन्होंने 2 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम की अवधि की कैद काटने वाले प्रमाण कर्ताओं से पहले ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये थे । उनको अपने मामलों को पुनः चालू करने का अनुरोध करते हुए एक साधारण कागज पर आवेदन पत्र भेजने की सलाह दी जाती है । ये नोट किया जाए कि ऐसे प्रमाण पत्र केवल तभी स्वीकार्य होंगे जब स्वतंत्रता सेनानियों के विरूद्ध गिरफ्तारी के वारन्ट जारी करने आदि से संबंधित सरकारी उप अभिलेखों उपलब्ध न हों और स्वतंत्रता संघर्ष क दौरान प्रमाण कर्ता का कार्य क्षेत्र अर्थात जिला वही हो जो आवेदक का था ।

3. आवेदन प्राप्ती की अन्तिम तारीख 30.6.1985 निर्धारित की जाती है ।

Youth Welfare Programmes in Gujarat

2761. SHRI RAMSINGHBHAI PATALIYABHAI RATHVAKOLI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to start Youth Welfare Programmes in Gujarat particular to Tribal Areas in the constituencies of Baroda, Balsar, Vyara, Man-davi, Chhota Udaipur, Surat;

(b) if so, the details thereof and how and when it is likely to be implemented;

(c) what amount is likely to be spent and earmarked for the current financial year as well for Seventh Plan outlay; and

(d) the details of benefits and employ ment derived by youths?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI R. K. JAICHANDRA SINGH): (a) and (b) Government has already set up six Nehru Yuvak ken-dras in the State of Gujarat to undertake youth welfare programmes and to involve young people in social service. Such ken-dras are already functioning in Bhuj, Juna-gadh, Surendranagar, Nadiad, Mehsana